

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:- प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/ 5493

दिनांक : 26/7/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

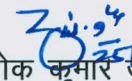
संदर्भ:- भारत निर्वाचन आयोग का पत्र दिनांक 23.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के दौरान अमिट स्याही को अनुचित रूप से लगाने के बारे में रिपोर्ट्स प्राप्त होने एवं उन रिपोर्ट्स पर विचार करने के पश्चात् इस आशय के निर्देश समस्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी करते हुए प्रति समस्त राज्य निर्वाचन आयोगों को प्रेषित की गई है कि अमिट स्याही को बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक अमिट स्याही के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी। स्याही लगाने हेतु एक आरेख भी पत्र के दर्शाया गया है।

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग भी यह उचित समझता है कि एक मतदाता के मतदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दोबारा फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह सुझाव उचित है। अतः भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आगामी समस्त नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदाता के बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक संलग्न पत्र के आरेख में दर्शितानुसार अमिट स्याही लगाई जाए।

मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान उक्त निर्देश को भली-भांति प्रसारित किया जाए।


(अशोक कुमार जैन)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 54/2/2015-ईएमएस

दिनांक: 23 मार्च, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

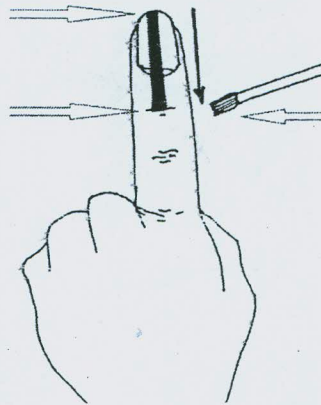
महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही के पिछले निर्वाचनों के दौरान, अमिट स्याही को अनुचित रूप से लगाने के बारे में आयोग को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। आयोग द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया है और आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभी भावी निर्वाचनों के दौरान, निम्नलिखित का कड़ाई से पालन किया जाए :-

अमिट स्याही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश (मै मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला) की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसाकि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।

नाखून का मुक्त छोर या सिरा

प्रथम जोड़

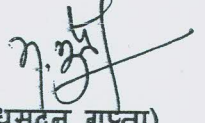


ब्रश

2.. कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने से पहले, निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो।

इस अनुदेश की एक प्रति सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालन के लिए उनके संज्ञान में लाया जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

भवदीय,


(मधुसूदन गुप्ता)

अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रबंधक निदेशक, मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड, न्यू बन्नीमंतप एक्सटेंशन मैसूर-570015, कर्नाटक को इस अनुरोध सहित कि अमिट स्याही के साथ-साथ ब्रशों की आपूर्ति भी सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से की जानी सुनिश्चित करें।
2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।